न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 178 / 2022

गुगनराम पुत्र घडसीराम, निवासी वार्ड नं0 10, नियर रविन्द्र पब्लिक सी0सै0स्कल, झुंझुनूं, मो0न0 9414801431

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 09.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.05.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 178 / 2022 पर दिनांक 24.05.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2022 / 2308–09 दिनांक 24.05.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4) (5)न्याय / सू0अ0 / 22 / 709 दिनांक 27.05.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी गुगनराम पुत्र घडसीराम, निवासी वार्ड नं0 10, नियर रविन्द्र पब्लिक सी0सै0स्कल, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 30.03.2022 को प्राप्त हुआ। उक्त संबंध मे अपीलार्थी द्वारा अवगत करवाया गया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सूरजगढ से चाही गई वांछित सूचना समय सीमा 30 दिवस मे प्राप्त नही हुई है एवं अन्य कोई प्रति उत्तर प्राप्त नही होने के कारण आवेदन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय / सू0अ0 / 09 / 121 दिनांक 05.04.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत करवाया कि तहसीलदार सरजगढ द्वारा आपको निर्धारित समय मे सूचना नही देने पर आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत संबंधित अधिकारी के पास प्रथम अपील कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16 (4) (5)न्याय / सू0अ0 / 22 / 709 दिनांक 27.05.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी गुगनराम पुत्र घडसीराम, निवासी वार्ड नं0 10, नियर रविन्द्र पब्लिक सी0सै0स्कल, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 30.03.2022 को प्राप्त हुआ। उक्त संबंध मे अपीलार्थी द्वारा अवगत करवाया गया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सूरजगढ से चाही गई वांछित सूचना समय सीमा 30 दिवस मे प्राप्त नही हुई है एवं अन्य कोई प्रति उत्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:22:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्राप्त नही होने के कारण आवेदन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/121 दिनांक 05.04.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत करवाया कि तहसीलदार सरजगढ द्वारा आपको निर्धारित समय मे सूचना नही देने पर आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत संबंधित अधिकारी के पास प्रथम अपील कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:22:08 IST
Reason: SelfAttested